न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0

मि0नं0 03 /अपील (आर0टी0आई)/2022

हनुमान रामावत
प्रवक्ता,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी,खानपुर,
पता– ग्राम पोस्ट बैसार जिला,झालावाड़(राज0)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,खानपुर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::– दिनांकः 21.01.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,खानपुर से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा पूरी सूचना न देकर सही सूचना नही देने की नियत से अपूर्ण व अस्पष्ट जवाब दिया गया है, प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.12..2021 को सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी खानपुर से निम्न सूचना चाही गई थीः– 01. जांच में दोषी पटवारी का आरोप पत्र प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित रेकार्ड 02. कमांक जांच/पीए/245–48 दिनांक 24.09.2021 को दोषी कार्मिक पटवारी के विरूद्ध अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 का नियम 17 के अन्तर्गत जेरकार जांच में की गई कार्यवाही की रिकार्ड दस्तावेज की प्रति 03. इस विषय में पटवारी को अपना पक्ष रखने या सूचित करने नोटिस,चार्जशीट की छाया प्रति व पटवारी द्वारा पुनः पेश किए जवाब की छाया प्रति। प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर सुनवाई हेतु दिनांकः 18.01.2022 नियत कर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपीलार्थी दौराने सुनवाई उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी की और से जवाब प्रस्तुत हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रा0पत्र लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर वांछित सूचना के कम में प्रार्थी को बिन्दु संख्या 01 के कम में कार्मिक गोपेश मानस पर नियमानुसार विभागीय जांच अन्तर्गत अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 का नियम 17 जैरकार होना अवगत कराया गया है। बिन्दु संख्या 02 व 3 के कम में चाही गई सूचनाएं तृतीय पक्ष की होने व सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ई)(जे) के अधीन उपलब्ध नही कराई जा सकती अवगत कराया जाने पर अपील प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार आवेदक को वांछित सूचना आंशिक रूप से सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाना जाहिर है। जंहा सवाल बिन्दु सख्या 2 व 3 का है तो लोक सूचना अधिकारी का प्रतिउत्तर आंशिक रूप से सही है क्यों कि उक्त सूचना प्रकटन से विरतृत लोक हित जाहिर नही है। यंहा यह भी स्पष्ट किया जाना उपयुक्त है कि अभी कार्मिक पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 का नियम 17 के अन्तर्गत जांच जेरकार है पूर्ण नही हुई है। इस सम्बन्ध में राज.सू.आ. /268/06 दिनांकः 08.02.2007 अशोक कुमार यादव बनाम स्टेट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के न्यायिक दृष्टान्त अनुसार "आयोग ने माना कि अनुसंधान पूर्ण हो जाने के पश्चात सूचना उपलब्ध कराने से इंकार नही किया जा सकता है।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू हेाता है। उपरोक्त विवेचन से जाच विचाराधीन होने से अपीलार्थी को वांछित रेकार्ड उपलब्ध नही कराया जा सकता है। जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार लोक सूचना अधिकारी से रेकार्ड लेने को अपीलार्थी स्वतन्त्र है। अतः अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 21.01.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर झालावाड़

कमांकः 35-37/रीडर/22 दिनांक 21.1.22

प्रतिलिपीः–

01 प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड
02. लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी,खानपुर
03. हनुमान रामावत,पता– ग्राम पोस्ट बैसार जिला,झालावाड़(राज0)

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड